



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

#MISSIONSHAKTI

मिशन शक्ति अभियान फेस-5.0 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी को **20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक **12.12.2025** को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 11.09.2023 को राशिद पुत्र वकील निवासी ग्राम नंगला साहू थाना भावनपुर जनपद मेरठ द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म कर आत्महत्या के लिए उकसाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 235/2023 धारा 376(2)N, 504, 506, 306, 511 भादवि व 5L/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 23.10.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 12.12.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा **20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उप-निरीक्षक श्री वासुदेव सिंह, पैरोकार है0का0 रवि व कोर्ट मोहरीर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

